न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 34 / 2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां
RAS

1 रघुवीर सिंह पुत्र गाडसिंह।
2 रामसिंह पुत्र हरदान सिंह।
3 बृजसिंह पुत्र गाडसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम भडौन्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 बजरंग सिंह पुत्र जोधा।
2 रामसिंह पुत्र जोधा।
3 बनवारी पुत्र जोधा।
4 मुकेश पुत्र हनुमान सिंह।
5 सुमन कुमार पुत्री हनुमान सिंह।
6 हरबीर पुत्र हनुमान सिंह।
7 नेमीचन्द पुत्र रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भड़ौन्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनू।
8 अजीत सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भाड़ौन्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय/आदेश न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू प्रार्थना पत्र उनवानी
रघुवीर सिंह बनाम बजरंग सिंह प्रार्थना पत्र अ.धा.
251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.
नं.62/15 निर्णय/आदेश दिनांक 19.01.18

उपस्थित

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुड़ानियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—06.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा आवेदन संख्या 62/2015 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 1103 व 1106 में से रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई

Lamo
भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट का आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया दो बार मौका रिपोर्ट आई है। दिनांक 13.06.2017 की मौका रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में है पटवारी ने नजरी नक्शा जानबुझकर गलत दिखाया है तहसीलदार ने मौका नही देखा है विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता मौजुद होना मानकर प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया है जो विधि विरूद्व है। चाहा गया रास्ता निकटतम है आई. एल.आर. की रिपोर्ट विरोधाभासी है अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि धारा 251ए में निकटतम दुरी का रास्ता देने एवं यदि रास्ता उपलब्ध है और वह सकड़ा है तो चोड़ा करवाया जाने का प्रावधान है आई.एल.आर. की रिपोर्ट के विरूद्व अपीलांट ने विचारण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत नही की है। रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर है अब अपील के स्तर पर आपत्ति नही कर सकते है वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार झुंझुनू की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नम्बर 1103 ,1101 व 1102 के उत्तर में कटानी रास्ता है कटानी रास्ते के दक्षिण की तरफ ग्रेवल सड़क बनी हुई है। तहसीलदार की इस मौका रिपोर्ट के विरूद्व अपीलांट ने कोई आपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अपीलांट की आपत्ति स्वीकार योग्य नही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यहां यह भी विचारणीय है कि प्रकरण में खातेदार सवाईसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान राजेन्द्र, नरेन्द्र, सुरेन्द्र को सहखातेदार होने के बावजुद आवेदन में पक्षकार नही बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी अपीलांट का आवेदन पोषणीय नही है यह विधिक स्थिति है इस पर अपीलांट ने कोई कथन नही किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/XI/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर